

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 12.03.2023**

**फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन हडपने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के क्रम में थाना इटियाथोक पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0- 34/2023 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 भा0द0वि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त धरनीधर मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने वादी की जमीन को कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर फर्जी तरीके से जमीन को कब्जा कर लिये थे। जिसके सम्बन्ध में वादी थाना इटियाथोक गोण्डा में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. धरनीधर मिश्रा पुत्र भोलानाथ मिश्रा निवासी भवानीपुर उपाध्याय थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0- 34/2023 धारा 419/420/467/468/471/447/504/506 भा0द0वि0 थाना इटियाथोक, जनपद- गोंडा।

**गिरफ्तारकर्ता टीम-**

01. व0उ0नि0 विश्वास कुमार चतुर्वेदी मय टीम थाना इटियाथोक गोण्डा।

## **कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 12.03.2023**

### **शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 16 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### **02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-**

गोण्डा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना कोतवाली नगर पुलिस ने 01, थाना को0देहात पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### **अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-**

#### **01. थाना कोतवाली मनकापुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. चन्द्रशेखर पुत्र रामटीमर सोनकर निवासी ग्राम महुआडीह थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 148/23, 01. जय कुमार पुत्र रामटीमर सोनकर निवासी ग्राम महुआडीह थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 149/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।